न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुकत, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी–अजीत सिंह राजावत, आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या 88/2021

अपीलांट बनाम रेस्पोडेन्ट

1. बाबुडी पुत्री भलाराम
2. माड़ी देवी पत्नी भलाराम
(जाति विश्नोई निवासी ग्राम विष्णु नगर, तह0 पीपाड़ शहर जिला जोधपुर)

1. राज0 सरकार जरिये तहसीलदार पीपाड शहर, जिला जोधपुर

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 75 राज0 भू राजस्व अधिनियम 1956, विरूद्ध उपखण्ड अधिकारी पीपाड़ शहर आदेश क्रमांक 7001 दिनांक 02.08.2017

उपस्थिति –
1. श्री पी0आर0 विश्नोई वकील अपीलांट
2. श्री नवलसिंह दहिया राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 की ओर से

निर्णय

दिनांक 08.04.2024

प्रस्तुत अपील प्रकरण के तथ्य मुख्यतः इस प्रकार से है कि उपखण्ड अधिकारी पीपाड़ शहर के अपीलाधीन आदेश दिनांक 2.8.17 के द्वारा तहसीलदार पीपाड़ शहर के प्रार्थना पत्र में प्रस्तावित राजस्व ग्राम विष्णु नगर के उल्लेखित खसरान की भूमि में रास्ते में उपयोग हो रही उल्लेखित बीघा भूमि की किस्म गै0मु0 रास्ता परिवर्तित करने एवं नक्शा (लटठा) ट्रेस में दुरस्ती एवं राजस्व रेकर्ड में गै0मु0रास्ते के रूप में दर्ज कर नक्शे में तरमीम करने का आदेश पारित किया गया। उक्त आदेश के विरूद्ध अपीलार्थीया द्वारा यह अपील न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की गई।

अपील के साथ अपील प्रस्तुत करने में हुए विलंब को क्षमा करने हेतु अवधि गणनार्थ अधिनियम की धारा 05 के तहत प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया। जो न्यायहित में स्वीकार कर अपील का गुणावगुण पर परीक्षण किया गया।

उभय पक्षकारान की बहस सुनी। दौरान सुनवाई वकील अपीलांट्स ने अपील मीमों में उल्लेखित तथ्यों को दौहराते हुए मुख्यतः यह आग्रह किया गया कि अपीलाधीन आदेश में अपीलांट्स की संयुक्त खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 444 में से 0.15.00 बीघा एवं ख0नं0 444/1 में से 0.09.00 बीघा भूमि को गै0मु0 रास्ता घोषित किया गया है। उक्त खसरान की भूमि में से मौके पर किसी प्रकार का रास्ता उपलब्ध नही है। स्वयं अपीलांट सं0 1 ने उपरोक्त

खसरान की भूमि में जाने हेतु रास्ता उपलब्ध करवाने बाबत अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत प्रार्थना पत्र सं0 21/2019 निस्तारण से शेष है, उक्त प्रकरण में हल्का पटवारी की रिपोर्ट अनुसार साबित है। अपीलाधीन आदेश बिना मौके की जांच व खातेदारों की सुनवाई के पारित किया गया है। जिसे अपास्त कर प्रकरण पुनः सुनवाई हेतु रिमाण्ड फरमाने का आग्रह किया गया।

राजकीय अधिवक्ता द्वारा अपीलाधीन आदेश का समर्थन करते हुए प्रकट तथ्यों के अनुसार विधिसम्मतः निर्णय पारित कराने का आग्रह किया गया।

हमने दोनो पक्षों के योग्य अधिवक्ताओं की बहस सुनी। पत्रावली एवं रेकर्ड पर उपलब्ध अभिलेखों का अवलोकन व मनन किया। जिसके अनुसार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उपरोक्त कार्यवाही तहसीलदार पीपाड़ शहर के आवेदन पर की गई है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व संबंधित खातेदारों को नोटिस एवं सुनवााई का अवसर नही दिया जाना पाया गया है और न ही प्रस्ताव प्रेषित करने से पूर्व खातेदारों की सहमती ली गई है। ऐसी स्थिति में अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पीपाड़ शहर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 02.08.2017 को अपीलांट के ख0नं0 444 एवं 444/1 की रकबा भूमि तक निरस्त कर प्रकरण इस निर्देश के साथ अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे अपीलांट एवं सभी संबंधित खातेदारों को नोटिस जारी कर उनकी उपस्थिति में मौका निरीक्षण एवं मौका फर्द तैयार करवाकर, यदि मौके पर रास्ता चालू है तो उसे बंद किये बिना, उन्हें सुनवाई का अवसर प्रदान कर पुनः नये सिरे से विधिसम्मत निर्णय पारित करें।

निर्णय आज दिनांक 08 अप्रेल, 2024 को खुले न्यायालय सुनाया गया।

(अजीत सिंह राजावत)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जोधपुर